फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थी		अप्रार्थी
डायालाल पुत्र स्व. धुडाराम जाति पूरोहित निवासी चडुआल तहसील व जिला सिरोही	बनाम	1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा

राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 73/2024

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
07.07.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री हिमांशु पूरोहित व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2025/287 दिनांक 23.04.2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, जिसकी एक प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार वर्तमान में खाता संख्या 309, 240, 140, 67, 299, 15, 148 की खातेदारी भूमि चडुआल में स्थित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान के दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, पेनकार्ड, राशनकार्ड में नाम डायालाल पुत्र धुडाराम दर्ज है। ग्राम चडुआल में ग्रामवासियों से पुछने पर बताया गया कि डायालाल पुत्र धुड़ाराम व डायाराम पुत्र धुडाराम एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी के नाम में परिवर्तन करने से अन्य सह खातेदार प्रभावित नहीं होते हैं अर्थात् उनके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***प्रार्थी का नाम डायाराम पुत्र धुड़ाराम की जगह डायालाल पुत्र धुड़ाराम संशोधन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें **लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)** **सिरोही** (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज.)	